समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला योजना कार्यालय)

–: निविदा आमंत्रण सूचना :–

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री हुक्मदेव नारायण यादव, लोकसभा क्षेत्र मधुबनी से मॉलड–I (कन्भेशनल टायलेट) 05 अदद एवं मॉडल–II (जैविक एफ.आर.पी. टायलेट) 15 अदद तथा माननीय सांसद श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी, लोकसभा क्षेत्र, झंझारपुर से मॉडल–II (जैविक एफ.आर.पी. टायलेट) 10 अदद इस प्रकार कुल 30 स्थानों पर मधुबनी जिला के अंतर्गत आपूर्ति/अधिष्ठापन हेतु प्राप्त हुआ है के आलोक में आपूर्ति/अधिष्ठापन हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 5/5/16 को अपराह्ण 01:00 बजे तक निबंधित प्रतिष्ठानों/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक : 5/5/16 को ही अपराह्ण 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। कन्भेशनल टायलेट एवं जैविक टायलेट की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : .... को अपराह्ण 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा PRD एवं मधुबनी जिला के बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. सरकारी संस्थान/गैर सरकारी संस्थान/इच्छुक/प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता आदि से निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा दाता का Turn Over एक वित्तीय वर्ष 1,00,00,000.00 (एक करोड़) रूपये का अंकेक्षण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
3. धरोहर राशि (जमानत की राशि) के रूप में मो. – 1,00,000/- (एक लाख) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र/जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना अनिवार्य होगा जो आपूर्त अधिष्ठापन स्वच्छता पूर्वक करने के पश्चात धरोहर राशि निविदा दाता को वापस कर दिया जाएगा अन्यथा निविदा दाता के द्वारा शर्ते एवं आपूर्ति आदेश के उलंघन पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. निविदा दाता को अद्यतन वैट, वाणिज्यकर, S.S.I. रजिस्ट्रेशन एंव दुकान प्रतिष्ठान या Sales Tax का पंजीकरण प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
5. निविदा दाता को आयकर PAN No. की अभिप्रमाणित छायाप्रति/यदि फर्म का हो तो I.T. Return निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा।
6. प्रतिष्ठित अधिकृत पंजीकृत कंपनी फर्म का नाम काली सूची में दर्ज नहीं होनी चाहिए। उस संबंध में निविदा दाता को शपथ–पत्र नोटरी का देना अनिवार्य होगा।
7. कन्भेशनल और जैविक एफ.आर.पी. टायलेट का नमूना (मॉडल–I एंव मॉलड–II का नमूना एक ही नमूने में दिखये जा सकता है) देना अनिवार्य होगा।
8. जैविक टायलेट का पूरा वर्किंग ड्राईंग देना होगा और यह जैविक टायलेट का Working drawing Consultant/Architect/Chartered civil' Engineer से प्रमाणित होना चाहिए।
9. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि आपूर्त्ति की जानेवाली Bio-Toilet की Technology DRDO एवं NEERI द्वारा प्रमाणित होगी।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते –

1. वित्तीय निविदा में Conventional Toilet & Bio Toilet का प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्ते –

1. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाऍ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
2. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
3. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

4. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार स्त्रोंत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विप्रत्र का भुगतान किया जाएगा।
5. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
6. कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित स्थानों पर आपूर्ति/अधिष्ठापित करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा एजेंसी द्वारा देय होगी। अन्यथा संबंधित फर्म की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
7. वैट की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
8. विवाद की स्थिति में न्यायलय, मधुबनी का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
9. विपत्र का भुगतान सशक्त क्रय समिति/निविदा समिति के गुणवत्ता जॉचोपरांत किया जाएगा।
10. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
11. एकरारनामा के साथ Performance Security Deposit (एकरारनामा की राशि का 10 प्रतिशत) Demand Draft/बैंक गारंटी/FDR/NSC जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना होगा। जिसकी वैधता सामग्री के आपूर्ति के पश्चात की तिथि से 05 वर्षो की अवधि तक रहनी चाहिए। Security money की वापसी पॉच वर्षो के बाद रख रखाव का कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरांत भुगतान किया जायेगा।
12. निविदादाता को दर अनुबंध में ही 05 वर्षो की वार्षिक रख–रखाव संविदा (A.M.C.) के अंतर्गत अधिष्ठापित कन्भेशनल टायलेट एवं जैविक टायलेट का रख–रखाव करना होगा।
13. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) अन्य शर्तें –

1. माननीय सांसद श्री हुक्मदेव नारायण यादव एवं माननीय सांसद श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी के द्वारा अनुशसिंत योजनाएँ कन्भेशनल और जैविक (एफ0आर0पी0) टायलेट का अन्य शर्तें की विवरणी जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।
2. सामग्री की आपूर्त्ति के क्रय में सामग्री के परिवहन में हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

14/9/16

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।